



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012023-242169
CG-DL-E-23012023-242169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]
No. 362]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 23, 2023/माघ 3, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 23, 2023/MAGHA 3, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2023

का.आ. 376(अ).—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि असम राज्य में नार्थ - इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के गुवाहाटी – शिलांग- सिलचर- पानीसागर खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, असम राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : कछार				राज्य : असम		
सर्कल	तहसील	गाँव/मौज़ा	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
कटिगोराह	कटिगोराह	मदारपुर	158	00	00	08
			157	00	02	11
			156	00	03	96
			164	00	02	51
			175	00	06	62

[फा. सं. एल – 14014/250/2022- जीपी-II(ई-45397)]

एम. आर. नाज़मी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2023

S. O. 376(E).—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Guwahati – Shillong – Silchar-Panisagar Section of North - East Natural Gas Pipeline Grid Project in the State of Assam, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State of Assam.

SCHEDULE						
District:- Cachar				State :- Assam		
Circle	Tahsil	Name of the Village/ Mouza	Survey No.	Area		
				Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6	7
Katigorah	Katigorah	Madarpur	158	00	00	08
			157	00	02	11
			156	00	03	96
			164	00	02	51
			175	00	06	62

[F. No. L-14014/250/2022-GP-II(E-45397)]

M. R NAZMI, Under Secy.